26/5/2025 पत्रा० पेश हुई। बकु-34-1 विवादित आराजी बिगत खसरा नम्बर 1722, जिसका हाल ख० नं० 1249/0.35 वाके कस्बा नदबई डिलीप में प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया।

पत्रावली मुजब कुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:59:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

खूबीराम बनाम अरविन्द वगै0

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 115/2024

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ...... व हाजरी वादी मिनजानिब मुददइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी विगत खसरा नंबर 1722, जिसका हाल खसरा नम्बर 1249 रकबा 0.35 वाके कस्बा नदबई द्वितीय में प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन कर वादीगण को मुताबिक वयनामा दिनांक 15.10.1986 हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26.05.2025 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 20/5/25

उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:59:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. खूबीराम पि. मूलीराम जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. कलुआ पि. मूलीराम जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. धर्मसिंह (फौत)
3/1 रनधीर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3/2 केशन पत्नि जोगेन्द्र पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी गहलउं तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
3/3 कश्मीरा पत्नि बलवीर पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी पाली तहसील वैर
3/4 गीता पत्नि शिवसिंह पुत्री धर्मसिंह निवासी पाली तहसील वैर
3/5 सुनीता पत्नि मनोज पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी भूतौली तहसील वैर
3/6 अनीता पत्नि नीरज पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी भूतौली तहसील वैर
3/7 ललिता पत्नि विश्वेन्द्र जाति जाट निवासी मानौता कलां तहसील नगर।
4. किरोडी पुत्र मूलीराम फौत
4/1 सुनील पुत्र किरोडी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई (फौत)
4/1/1 धनंजय पुत्र सुनील जाति जाट निवासी कस्बा नदबई जिला भरतपुर।
4/1/2 नीशा पत्नि देवेन्द्र पुत्री सुनील निवासी भरतपुर।
4/1/3 इमरती पत्नि सुनील जाति जाट निवासी कस्बा नदबई।
4/2 धारासिंह पि. किरोडी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
4/3 धर्मेन्द्र पि. किरोडी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
4/4 सुषमा पत्नि जीतेन्द्र पुत्री किरोडी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
4/5 रिंकी पत्नि नैमसिंह जीतेन्द्र पुत्री किरोडी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
5. बाबू पुत्र मूलीराम जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।

—वादीगण

बनाम

1. अरविन्द पुत्र नबाव सिंह जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
2. कुलदीप पुत्र नबाव सिंह जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
3. राजवीर पुत्र नबाव सिंह जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
4. सचिन पुत्र नबाव सिंह जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
5. पी.एन.बी. शाखा नदबई जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
7. सब रजिस्ट्रार नदबई।

— असल प्रतिवादीगण

8 गंगाराम पुत्र परमा जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
9 जोगेन्द्र पुत्र परमा जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
10 तारा पुत्री परमा जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
11 रघुवीर सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
12 रमल्ला उर्फ रामादेवी पुत्री परमा जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
13 रमेश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
14 साहबसिंह पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
15 सोहनलाल पुत्र करनसिंह जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
16 रामजीलाल पुत्र गिरधर (फौत)
16/1 वीरीसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।

—तर० वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:59:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 115/2024
किस्म दावा 88,89,18 आर.टी.ए.
जीसीएमएस नंबर 2024/000230
निर्णय दिनांक 26.5.25

1. खूबीराम पि. मूलीराम जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. कलुआ पि. मूलीराम जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. धर्मसिंह (फौत)
   3/1 रनधीर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/2 केशन पत्नि जोगेन्द्र पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी गहलउं तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
   3/3 कश्मीरा पत्नि बलवीर पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी पाली तहसील वैर
   3/4 गीता पत्नि शिवसिंह पुत्री धर्मसिंह निवासी पाली तहसील वैर
   3/5 सुनीता पत्नि मनोज पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी भूतौली तहसील वैर
   3/6 अनीता पत्नि नीरज पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी भूतौली तहसील वैर
   3/7 ललिता पत्नि विश्वेन्द्र जाति जाट निवासी मानौता कलां तहसील नगर।
4. किरोडी पुत्र मूलीराम फौत
   4/1 सुनील पुत्र किरोडी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई (फौत)
   4/1/1 धनंजय पुत्र सुनील जाति जाट निवासी कस्बा नदबई जिला भरतपुर।
   4/1/2 नीशा पत्नि देवेन्द्र पुत्री सुनील निवासी भरतपुर।
   4/1/3 इमरती पत्नि सुनील जाति जाट निवासी कस्बा नदबई।
   4/2 धारासिंह पि. किरोडी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
   4/3 धर्मेन्द्र पि. किरोडी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
   4/4 सुषमा पत्नि जीतेन्द्र पुत्री किरोडी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
   4/5 रिंकी पत्नि नैमसिंह जीतेन्द्र पुत्री किरोडी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
5. बाबू पुत्र मूलीराम जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।

—वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:59:59 IST
Reason: SelfAttested

26/5/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

बनाम

1. अरविन्द पुत्र नबाव सिंह जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
2. कुलदीप पुत्र नबाव सिंह जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
3. राजवीर पुत्र नबाव सिंह जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
4. सचिन पुत्र नबाव सिंह जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
5. पी.एन.बी. शाखा नदबई जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
7. सब रजिस्ट्रार नदबई।

– असल प्रतिवादीगण

8. गंगाराम पुत्र परमा जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
9. जोगेन्द्र पुत्र परमा जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
10. तारा पुत्री परमा जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
11. रघुवीर सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
12. रमल्ला उर्फ रामादेवी पुत्री परमा जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
13. रमेश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
14. साहबसिंह पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
15. सोहनलाल पुत्र करनसिंह जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
16. रामजीलाल पुत्र गिरधर (फौत)
    16/1 वीरीसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।

–तर0 वादीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एड0(वादी)

श्री गोविन्द सिंह एडवो0 (प्रतिवादी की ओर से)

सत्यमेव जयते

निर्णय

दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत् पेश किया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है–

1. यह कि विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 2149 रकबा 0.35, वाके ग्राम कस्बा नदबई तहसील नदबई में स्थित है।
2. यह है कि आराजी वादीगण संख्या 1, 2, 5 व 7/1 लगायत 3/7 व पिता धर्मसिंह व 4/1 लगायत 4/5 पिता व बाबा करोड़ी की खरीदशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:59:59 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

आराजीयात है। उक्त आराजीयात के खातेदार के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 14 के बाबा व पिता बिहारी व तर0 प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 के पिता परमा व तर0 प्रतिवादीगण संख्या 15 सोहनलाल की खातेदारी की आराजीयात है। जिसे वादीगण संख्या 1 व 2 व खूबी कलुआ व वादीगण संख्या 3/1 व 3/7 के पिता धर्मसिंह व वादीगण 4/1 लगायत 4/5 के पिता व बाबा किरोडी व वादी संख्या 05 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा कीमतन 11000 रूप्ये में 15.10.1986 विगत खसरा नं0 1722 रकवा 1 बी. 8 विस्वा में से 1/2 हिस्सा को खरीद किया है। तथा मुताबिक वयनामा वादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त व उपयोग कर रहे है। वादीगण ने उक्त वयनामा की नकल दाखिला खारिज हेतु हल्का पटवारी को दे दिया था। लेकिन हल्का पटवारी ने उक्त वयनामा का दाखिला खारिज वादीगण व पूर्वजों के हक में नहीं किया गया तथा वादीगण व उनके पूर्वज बार–बार हल्का पटवारी से दाखिला खारिज हेतु सम्पर्क करते तो हल्का पटवारी उनको यह कह देता कि कर दूंगा । इसस प्रकार वादीगण व उनके पूर्वज हल्का पटवारी के विश्वास में गया। इस प्रकार उक्त खरीदशुदा आराजी पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 4 के पिता नबाव सिंह व प्रतिवादी संख्या 14 साहब सिंह जो बिहारी के वारिसान थे तथा प्रतिवादीगण संख्या 13 के पिता परमा व प्रतिवादी संख्या 15 सोहनलाल के नाम लगातार गलत इन्द्राजात चलें आ रहे है। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के बाबा बिहारी ने गलत इन्द्राजात का फायदा उठाकर वादीगण के हक को मारने की गरज से उक्त आराजी खसरा नम्बर 2149 का वयनामा अपनी अन्य आराजीयात के साथ बदयांति पूर्वक प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 4 के हक में दिनांक 06.09.2012 को गलत तरीके से रजि. करवा दिया हैं। उक्त गलत एवं अवैधानिक वयनामा के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 4 के नाम · तथा विरासत के गलत दाखिला खारिज के आधार पर तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 व प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात है। जिनके आधार प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात को दीगर सख्स ... आमादा है। जिसमें वादीगण को प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:59:59 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

हकतलफी है। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन करवाकर अपने आपको मुताबिक वयनामा हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के मुश्तहक है।

अतः प्रार्थना है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1249 रकवा 0.35 वाके कस्बा नदबई द्वितीय में प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन करवाकर वादीगण को मुताबिक वयनामा दिनांक 15.10.1986 हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 4 की ओर से श्री गोविन्द सिंह एडवो0 द्वारा उपस्थित होकर इकबालदावा पेश किया गया एवं एवं शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिनके विरूद्व नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2074–77 खाता संख्या 432 वाके ग्राम कस्बा नदबई द्वितीय, प्रमाणित प्रतिलिपि वयनामा दिनांक 15.10.1986, प्रमाणित प्रतिलिपि वयनामा 06.09.2012 पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में धर्मेन्द्र पुत्र किरोडी जाति जाट निवासी कस्बा नदबई के शपथ–पत्र पेश किए गए। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी वकील के कथन रहे कि खसरा नम्बर 1722 जिसका हाल खसरा नम्बर 2149 बना है, के वक्त वयनामा खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 13 के पिता व बाबा परमा प्रतिवादी संख्या 15 सोहनलाल व प्रतिवादी संख्या 14 के बिहारी की खातेदारी की आराजीयात थी। जिसमें उक्त खातेदार 1/2 हिस्से के खातेदार थे। उक्त खातेदार बिहारी, परमा व सोहनलाल, जो प्रतिवादीगण के पिता व बाबा थे, ने उक्त आराजीयात को वादी संख्या 1 व 2 खूबीराम व कलुआ एवं वादीगण संख्या 3/1 लगायत 3/7 के पिता व बाबा धर्मसिंह एवं वादीगण संख्या 4/1 लगायत 4/5 के पिता किरोडी व वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:59:59 IST
Reason: SelfAttested

26/5/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
(नदबई)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 05 बाबू को कीमतन 15.10.1986 को अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वादीगण के हक में करवा दिया। उक्त वयनामा का हल्का पटवारी का इन्द्राज न करने के कारण प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 15 के नाम गलत इन्द्राजात चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 14 के पिता बिहारी ने उक्त आराजीयात पर चल रहे गलत इन्द्राजात का फायदा उठाकर अपने अन्य आराजीयात के साथ हाल खसरा नम्बर 2149 में दर्ज गलत इन्द्राजात 1/16 का वयनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हक में करवा दिया है। जो वादीगण के वयनामा दिनांक 15.10.1986 के मुकाबले वादीगण के हिस्से पर शून्य है। इसलिए उक्त इन्द्राजात प्रतिवादीगण काबिल शून्य है तथा मुताबिक वयनामा वादीगण दिनांक 15.10.1986 हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के मुश्तहक है। वयनामा दिनांक 06.09.2012 खसरा नं0 2149 के 1/6 हिस्से तक वादीगण के हिस्से तक मुकाबला वयनामा 15.10.1986 शून्य है। प्रतिवादीण द्वारा वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु इकबाल दावा भी पेश किया गया है। प्रतिवादीगण अधिवक्ता की ओर से किसी प्रकार की कोई उज्रदारी पेश नही की गई है। लिहाजा उक्त वाद पत्र मुताबिक वयनामा दिनांक 15.10.1986 हिस्सेनुसार डिक्री किये जाने योग्य है।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि विवादित आराजीयात को वादीगण संख्या 1 व 2 खूबीराम व कलुआ एवं वादीगण संख्या 3/1 लगायत 3/7 के पिता व बाबा धर्मसिंह एवं वादीगण संख्या 4/1 लगायत 4/5 के पिता व बाबा किरोडी व वादीगण संख्या 05 बाबू को कीमतन 15.10.1986 को अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वादीगण के हक में करवा दिया। (वयनामा दिनांक 15.10.1986) पटवारी हल्का द्वारा दाखिला खारिज खोलने से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 14 के पिता बिहारी ने उक्त आराजीयात पर चल रहे गलत इन्द्राजात का फायदा उठाकर अपने अन्य आराजीयात के साथ हाल खसरा नम्बर 2149 में दर्ज गलत इन्द्राजात 1/16 का वयनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हक में करवा दिया है (वयनामा दिनांक 06.09.2012) वयनामा दिनांक 06.09.2012 खसरा नं0 2149 के 1/6 हिस्से तक वादीगण के हिस्से तक शून्य घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:59:59 IST
Reason: SelfAttested

26/5/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

किया जाना उचित प्रतीत होता है।एवं प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन कर वादीगण को मुताबिक वयनामा दिनांक 15.10.1986 हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी विगत खसरा नंबर 1722, जिसका हाल खसरा नम्बर 1249 रकवा 0.35 वाके कस्बा नदबई द्वितीय में प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन कर वादीगण को मुताबिक वयनामा दिनांक 15.10.1986 हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

26/5/25

(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 15:59:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner